

राजस्थान-सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

14/06/2016

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री नरेन्द्र नाथ शर्मा	उप विधि परामर्शी कार्यालय पुलिस मुख्यालय, जयपुर।	उप विधि परामर्शी विशेषाधिकारी, रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मण्डल), जयपुर	श्री विनोद कुमार शर्मा के स्थान पर
2.	श्री हारून अली	सहायक विधि परामर्शी कार्यालय पुलिस मुख्यालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन उप विधि परामर्शी, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर)	उप विधि परामर्शी कार्यालय पुलिस मुख्यालय, जयपुर।	श्री नरेन्द्र नाथ शर्मा के स्थान पर
3.	श्री विनोद कुमार शर्मा	उप विधि परामर्शी विशेषाधिकारी, रेवेन्यू बोर्ड (राजस्व मण्डल) जयपुर।	उप विधि परामर्शी, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
4.	श्री चन्द्रवीर सिंह रत्नावत	संयुक्त विधि परामर्शी राजकीय अधिवक्ता, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी राजस्व उपनिवेशन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
5.	श्री हरिकृष्ण टूटेजा	उप विधि परामर्शी महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर (संयुक्त विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध)	उप विधि परामर्शी महानिदेशक, कारागार जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से
August 14.06.16
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 (प्रति संलग्न) के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस विभाग की आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।

August 14.06.16
संयुक्त शासन सचिव